राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.16(77)एम.ई./ग्रुप–I/2019 जयपुर, दिनांकः 6/12/2021

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
जयपुर।

विषयः– ऐण्डोक्रायनोलोजी विभाग में "Comprehensive Diabetic and Metabolic Syndrome Prevention, Care and Research Project" 100% funded by Government of Japan के संबंध में।

संन्दर्भः– आपका पत्र क्रमाकं 18004 दिनांक 07.08.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में ऐण्डोक्रायनोलोजी विभाग में "Comprehensive Diabetic and Metabolic Syndrome Prevention, Care and Research Project" 100% funded by Government of Japan के लिए प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जाएगा।
2. योजना के संचालन हेतु आवश्यक कार्मिक, Government of Japan से राशि प्राप्त होने तक ही कार्यरत रहेंगे। राशि प्राप्त होना बन्द होने पर चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा योजना से संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त अथवा मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
3. योजना के बन्द होने के उपरान्त भी योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
4. योजनान्तर्गत प्राप्त राशि के अंकमिलान का दायित्व चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर का होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152100895 दिनांक 06.12.2021 से प्राप्त सैद्धान्तिक सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

6/12/2021
(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा–I), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–1/बजट/आयोजना) विभाग।
5. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

6/12/21
(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव